Seat No. 338, Golden Jubilee Hall, High Court Campus Jabalpur M.P. 482001
Mob. No. 8109870226, 7898075935
Email:- vpshah76@gmail.com

VINAYAK PRASAD SHAH
LL.B., LL.M., ADVOCATE
High Court of Madhya Pradesh
Principal Seat At Jabalpur

Jabalpur, Dated - 03/06/2026

प्रति,

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
द्वारा ई-मेल sogad1@mp.gov.in

विषय :- **"कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026"** के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव।
संदर्भ :- सार्वजनिक सूचना, क्रमांक: 3/3/4/02/2026-1-01(GAD) भोपाल, दिनांक: 21/05/2026
महोदय,

विषयांकित और संदर्भित के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव निम्नलिखित हैं:-

आपत्ति

नियम 11(1) में वर्गवार चयन सूची जारी करने का उपबंध किया गया है। जिसमें स्पष्ट नहीं है कि अनारक्षित (Unreserved) पदों के चयन सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। यहां पर कानून में संदिग्धता है जबकि विधि शासन का मूल है कि कानून स्पष्टता होना आवश्यक है।

सुझाव

1. नियमों स्पष्ट उपबंध किया जाए कि चयन सूची तैयार करने के पहले "एकीकृत गुणानुक्रम सूची (Unified Merit List)" तैयार की जाएगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का सबसे ऊपर इसके बाद अवरोही क्रम में पात्र अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएंगे। इस सूची में सभी वर्गों के समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम (गुणानुक्रम के आधार पर अवरोही क्रम में) शामिल होंगे।

2. एकीकृत गुणानुक्रम सूची तैयार किए जाने के बाद इसी सूची में से अनारक्षित पदों के लिए गुणानुक्रम के आधार पर काउंसिलिंग कर चयन सूची जारी किया जाएगा और नियुक्ति प्रदान की जाएगी। समस्त अनारक्षित पदों पर नियुक्ति होने के बाद ही "एकीकृत गुणानुक्रम सूची" में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को गुणानुक्रम के आधार पर काउंसिलिंग कर चयन सूची जारी किया जाएगा और नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

जबलपुर :
दिनांक: 03/06/2026

विनायक प्रसाद शाह
अधिवक्ता
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर